वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, आज, हिंदुस्तान,अमर उजाला, ज्ञानशिखा टाइम्स,जागरूक एक्सप्रेस,न्यायाधीश,परफेक्ट मिशन ,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 10.04.2025

वित्तीय निगम कार्यालय और बाटा शोरूम को किया सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण टीम ने बुधवार को प्रतिष्ठानों को सील करने की दो बड़ी कार्रवाई की। इसमें सिगरा शास्त्री नगर स्थित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, उपडाकघर और नीचीबाग स्थित बाटा कंपनी का शोरूम शामिल है।

विकास प्राधिकरण द्वारा किराये पर उक्त प्रतिष्ठानों के भवन विकास प्राधिकरण ने आवंटित किया था। जो लोग संपत्तियों का किराया कई वर्षों से नहीं जमा कर रहे थे उनके खिलाफ उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने अभियान चलाने का आदेश दिया था।

इसी क्रम में उक्त प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के लिए शास्त्री नगर आवासीय योजना में भवन संख्या-3 से 8 तक का आवंटन है। पिछले 20 वर्षों से वित्तीय निगम ने बकाया 81,68,937.30 किराया जमा नहीं किया जा रहा था। शासन का शासनादेश है कि किराये पर आवंटित संपत्ति का विक्रय कर दिया जाए।

अनधिकृत रूप से बन रहा पेनिसिया हास्पिटल सील

वार्ड भेलूपुर में आशुतोष मिश्रा द्वारा सरायनंदन, कबीर नगर में पेनिसिया हास्पिटल भवन का निर्माण कराया जा रहा था। 1200 वर्गफीट में पांच तलों का निर्माण कर फिनिशिंग कार्य अनधिकृत रूप से किया जा रहा था। रोकने के बावजूद लगातार कार्य कराया जा रहा था। इस कारण सील कर दिया गया।

दैनिक जागरण –दि0 10.04.2025

क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय और उप डाकघर सील

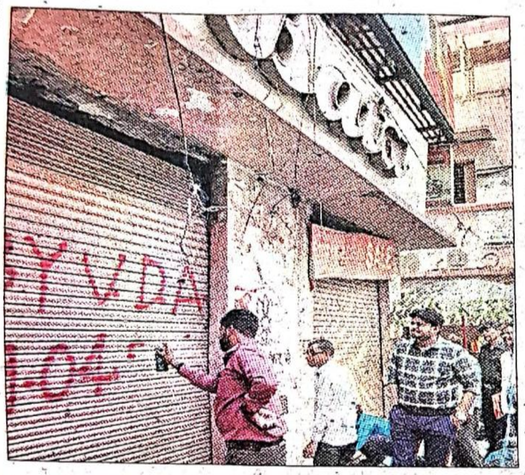

नीचीबाग में कार्रवाई करते वीडीए अधिकारी। स्वयं

वाराणसी। वीडीए की ओर से किराये पर आवंटित संपत्तियों का किराया कई वर्षों से न जमा करने पर बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया।

सिगरा स्थित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, नीचीबाग के बाटा शू कंपनी का शोरूम और सिगरा में उप डाकघर भवन सील किया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के ने बताया कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के लिए शास्त्री नगर आवासीय योजना में भवन संख्या-03 से 08 तक का आवंटन नियत किराये पर किया गया था। 20 वर्षों से वित्तीय निगम ने बकाया (81,68,937) नहीं जमा किया था। इसी प्रकार नीचीबाग में बाटा के व्यावसायिक केंद्र में दुकान संख्या-01 एवं 02 किराये पर आवंटित थी। बीते 05 वर्षों से (3,16,192) बकाया था। शास्त्री नगर योजना में स्थित उप डाकघर का कार्यालय भवन संख्या-24 जिसका विगत 20 वर्षों से कुल (99,32,252) बकाया था। कई बार नोटिस दिये जाने के बाद भी बकाया धनराशि जमा नहीं किया गया। मौके पर भवन को वीडीए ने सील कर दिया। ब्यूरो

आज –दि0 10.04.2025

उपडाकघर सहित वित्तीय निगमका कार्यालय हुआ सील

भारी बकाया होनेपर विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर हुई काररवाई

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्गके निर्देशपर बुधवारको उत्तर प्रदेशके वित्तीय निगमके क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उपडाकघर शास्त्रीनगर योजना सिगरा और बाटा शू कम्पनी नीचीबागको सील कर दिया गया। इन तीनोंपर विप्राका अधिक बकाया होने और कई बार पत्र भेजनेके बाद भी बकाया राशि न जमा करनेपर सीलिंगकी काररवाई की गयी। शास्त्रीनगर आवासीय योजना भवन संख्या तीन से आठ तक बीस वर्षोंसे वित्तीय निगमका कार्यालय खुला हुआ था। लगभग ८१ लाख ६८ हजार ९३७ रुपया बकाया जमा करनेके लिए कई बार नोटिस भेजी गयी। किराया न जमा करनेपर आवंटन रद करते हुए विप्राने अपना ताला जड़ दिया। इसी प्रकार शास्त्रीनगर उपडाकघरको भवन संख्या २४ में लगभग २० वर्ष पहले आवंटन किया गया था इस पर भी ९९ लाख ३२ हजार २५२ रुपया न जमा करनेपर विप्राने उसे सील कर दिया। सील करनेके साथ ही आवंटन प्रक्रिया निरस्त करनेकी तैयारी की जा रही है जबकि संबंधित विषयमें उपडाकघरमें कई बार नोटिस भेजी गयी थी। इसी प्रकार वीडीए के बाटा शू कम्पनी दूकान संख्या एक और दो लगभग पांच वर्ष पूर्व आवंटन किया गया था जिस पर तीन लाख १६ हजार १९२ रुपया बकाया चला आ रहा था। शू कम्पनीको कई बार नोटिस भेजनेके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं की गयी। मौकेपर पहुंचे विप्रा अभियन्ताओंने दुकानको सीज करनेके बाद पुलिसकी अभिरक्षामें सौंप दिया। जानकारीके अनुसार इस दुकानके आवंटन भी निरस्त करने की काररवाई शुरू कर दी गयी है।

अमर उजाला –दि0 10.04.2025

शमन शुल्क वसूलें, फाइलों का कराएं निस्तारण : वीडीए

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को वीडीए के कार्यों की समीक्षा की। दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक, कोतवाली, भेलूपुर, नगवां, रामनगर, मुगलसराय में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, शमन शुल्क की वसूली करने को कहा।

आईजीआरएस पोर्टल पर निगेटिव फीडबैक पर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण कर अनधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के खिलाफ कार्रवाई करें। लंबित शमन मानचित्र की फाइल का निस्तारण कराएं।

वहीं, वीडीए की ओर से दो जोनल अधिकारी और एक अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले पांच साल में जोन-1 (वार्ड-सिकरौल व शिवपुर) के तहत सील भवनों के सापेक्ष जिन भवन स्वामियों ने सील तोड़े थे। निर्देश देने के बावजूद एफआईआरदर्ज नहीं कराई गई। इसके लिए जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, संजय कुमार तिवारी, अवर अभियंता रोहित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

रजिस्ट्री के लिए वीडीए में 17 को लगेगा कैंप : वीडीए की आवासीय योजनाओं लालपुर, पांडेयपुर, बड़ी गैबी में जिन लाभार्थियों ने पूरा भुगतान कर दिया है उनके लिए 17 अप्रैल को वीडीए में विशेष कैंप लगाया जाएगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर रजिस्ट्री के लिए कैंप की सुविधा दी जा रही है।

अब एक ही छत के नीचे पूरी प्रक्रिया होगी। यह कैंप 17 अप्रैल को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक लगाया जाएगा। ब्यूरो

टूटने से पहले बढ़कर आया किराया, शिकायत

वाराणसी। टूटने से पहले जवाहर मार्केट का किराया बढ़कर आया है। लोगों ने वीडीए में शिकायत की है। उनका कहना है कि पहले की अपेक्षा इस बार किराया बढ़कर आया है। जब इस मार्केट को तोड़ा जाना है तो फिर किराया बढ़ाना नहीं चाहिए। 15 सितंबर 1982 में कैंट स्टेशन के सामने निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य बाहर से आने वाले यात्रियों को सुविधाएं देना था। काफी पुराना होने के कारण इसे ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। वीडीए ने तय किया है कि यहां के दुकानदारों से बातचीत कर कार्ययोजना बनाई जाएगी। वीडीए के अधिकारियों ने बताया कि किराया नहीं बढ़ा है। ज्यादातर किराया 1200 से लेकर 4000 रुपये तक है। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 10.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री हेतु विशेष कैम्प

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशन मे प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं जैसे लालपुर, पांडेयपुर, बड़ी गैबी आदि में जिन्होंने पूर्ण भुगतान कर दिया है, उनके लिए विशेष रजिस्ट्री कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।यह कैम्प 17 अप्रैल 2025 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाराणसी विकास प्राधिकरण के मुख्य सभागार में आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर रजिस्ट्री से संबंधित समस्त कार्य जैसे स्टाम्प वेंडर, डेट टाइपिंग, डेट अलॉटमेंट एवं डीड तैयार कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक ही छत के नीचे पूरी की जाएगी।रजिस्ट्री हेतु आवश्यक दस्तावेज़ (एक साथ प्रस्तुत करें) लाभार्थी के दस्तावेज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो (4) दो गवाहों के दस्तावेज़ प्रत्येक का आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट साइज फोटो (4 प्रति व्यक्ति) रजिस्ट्री हेतु उपयुक्त फॉर्म (सेल डीड/लीज़ डीड/फ्री होल्ड) हेल्पडेस्क से प्राप्त करें सम्बंधित संपत्ति के निबंधन हेतु स्टाम्प ड्यूटी यह पहल नागरिकों को त्वरित, सरल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 10.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन–3 वार्ड.दशाश्वमेधए चेतगंजए चौक व कोतवालीद्धए जोन–4 भेलूपुर व नगवांद्धए जोन–5 रामनगर व मुगलसरायद्ध का साप्ताहिक कार्यो के प्रगति 1.04.2025 से 08.04.2025 तक कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान अपर सचिव परमानन्द यादव जोन–3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापतिए अवर अभियन्ता राजू कुमारए जोन–4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमारए अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं जोन–5 के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाशए अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिकए विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे। उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्रए स्वीकृत शमन मानचित्रए तावान / शमन शुल्क की वसूली, आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने हेतु निर्देशित कियेए अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाहीए अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाहीए तीनो जोन के जोनल अधिकारियों को निर्देशित किये की जितने भी पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण के लिये आदेशित किया गयाए विन्यास व भवन वार्ड के टॉप–10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन–3 द्वारा कुल.–1, जोन–4 द्वारा कुल–0 व जोन–5 द्वारा कुल–1 इस प्रकार कुल–2 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन–3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु 87,59,989.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ ।

हिन्दुस्तान –दि0 10.04.2025

वित्तीय निगम दफ्तर, उप डाकघर और शोरूम सील

- किराया नहीं जमा करने पर वीडीए ने की कार्रवाई
- लाखों रुपये था बकाया, नोटिस पर भी नहीं चेते

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को शास्त्रीनगर (सिगरा) स्थिति वित्तीय निगम का क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, उपडाकघर और नीचीबाग स्थित बाटा का शो-रूम सील कर दिया गया।

वित्तीय निगम के कार्यालय के लिए आवासीय योजना में नियत किराए पर आवंटन किया गया था। लेकिन 20 वर्षों से वित्तीय निगम ने बकाया 81 लाख 68 हजार 937 रुपये नहीं जमा किया जा रहा था। नोटिस का भी संज्ञान न लेने पर आवंटन निरस्त कर सील कर दिया गया। वहीं, बाटा कम्पनी के व्यावसायिक केंद्र में दुकान संख्या-1 एवं 2 किराये पर आवंटित थी। इस पर भी 5 वर्षों से 3 लाख 16 हजार 192 रुपये बकाया था।

इस तरह शास्त्रीनगर योजना में स्थित उप डाकघर का कार्यालय पर भी 20 वर्षों से कुल 99 लाख 32 हजार 252 रुपये बकाया था। इसे भी सील कर दिया गया। वीडीए अफसरों ने कहा कि अब बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्तान –दि0 10.04.2025

वीडीए: जोनल अफसर और दो जेई को नोटिस

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने लापरवाही के आरोप में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जेई संजय कुमार तिवारी और रोहित कुमार को नोटिस दिया है। वह बुधवार को प्राधिकरण सभागार में जोन-1 एवं ज़ोन-2 की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

जोन-1 (वार्ड-सिकरौल व शिवपुर) में बीते 5 वर्षों में वीडीए की ओर से सील भवनों में भी निर्माण कराया गया था। भवनस्वामियों ने सील तोड़ दिये थे। लेकिन जोन कार्यालय से उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि, जोनल अधिकारी को बार-बार एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जा रहा था। समीक्षा के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया गया। अपर सचिव ने बताया कि जोन-1 में पहली से 6 मार्च तक शमन शुल्क के मद में 4,70,500 जमा कराए गए। वित्तवर्ष 2024-25 में 12 करोड़ 24 लाख 78 हजार 676 रुपये और जोन-2 के सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा वार्ड में पहली से 6 अप्रैल तक 12,04,710 रुपये शमन शुल्क जमा कराए गए।

हिन्दुस्तान –दि0 10.04.2025

वीडीए के तीन जोन के कार्यों की समीक्षा

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को जोन-3, जोन-4, जोन-5 के साप्ताहिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, शमन शुल्क वसूली, आईजीआर पोर्टल की जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने का निर्देश दिया। अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फिलिंग स्टेशनों पर कार्यवाही, टॉप-10 बकायेदारों आदि पर चर्चा की।

हिन्दुस्तान –दि० 10.04.2025

वीडीए का विशेष रजिस्ट्री कैंप 17 को लगेगा

वीडीए की आवासीय योजनाओं की रजिस्ट्री के लिए 17 अप्रैल को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर लगेगा। प्राधिकरण मुख्यालय के मुख्य सभागार में लगने वाले विशेष कैंप में स्टाम्प वेंडर, डेट टाइपिंग, डेट अलॉटमेंट एवं डीड आदि प्रक्रिया एक ही छत के नीचे पूरी होगी।

न्यायाधीश –दि० 10.04.2025

किराये पर आवंटित सम्पत्तियों का किराया कई वर्षों से न जमा करने पर बकायेदारों के विरूद्ध चलाया गया अभियान

उ0प्र0 वित्तीय निगम का क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय ,बाटा शू कम्पनी का नीचीबाग स्थित शो-रूम व उप डाकघर शास्त्री नगर योजना सिगरा का भवन किया गया सील

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किराये पर आवंटित सम्पत्तियों का किराया कई वर्षो से न जमा करने पर बकायेदारों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय हेतु शास्त्री नगर आवासीय योजना में भवन संख्या-03 से 08 तक का आवंटन नियत किराये पर किया गया था। परन्तु 20 वर्षो से वित्तीय निगम द्वारा बकाया (रू0 81,68,937) नहीं जमा किया जा रहा था। शासन द्वारा शासनादेश है कि किराये पर अवंटित सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जाय एवं यदि किरायेदार सम्पत्ति क्रय नहीं कर रहा है तो उनसे व्यावसायिक दर पर किराया वसूल किया जाय। इस सन्दर्भ में उ0प्र0 वित्तीय निगम को पूर्व में कई बार बकाया जमा करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया। परन्तु उनके द्वारा बकाया न जमा करने के कारण उपाध्यक्ष वी0डी0ए0 द्वारा उक्त आवंटन दिनांक 05.8.2024 को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात कई बार भवन रिक्त करते हुए कब्जा वी0डी0ए0 को हस्तगत करने हेतु भवन स्वामी को नोटिस प्रेषित की गयी परन्तु उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा बकाया जमा नहीं किया गया न ही वी0डी0ए0 द्वारा निरस्त की जा चुकी सम्पत्ति को रिक्त किया गया। अतः आज दिनांक 09.04.2025 को वी0डी0ए0 द्वारा मौके पर 06 भवन को सील करते हुए अपनी अभिरक्षा में लिया गया।बाटा शू कम्पनी को नीचीबाग व्यावसायिक केन्द्र में दुकान संख्या-01 एवं 02 किराये पर आवंटित थी। उक्त सम्पत्ति का विगत 05 वर्षो से (रू0 3,16,192) बकाया था। कम्पनी को कई बार नोटिस दिया गया। परन्तु कम्पनी द्वारा न तो किराया जमा किया गया न ही कोई जवाब दाखिल किया गया। उक्त के क्रम में बाटा कम्पनी को सम्पत्ति क्रय करने एवं बकाया किराया जमा करने हेतु कई बार नोटिस देने के बावजूद कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी न ही बकाया जमा किया गया। अतः आज दिनांक 09.04.2025 को उक्त सम्पत्ति को मौके पर सील करते हुए प्राधिकरण ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है।शास्त्री नगर योजना में स्थित उप डाकघर का कार्यालय भवन संख्या-24 जिसका विगत 20 वर्षो से कुंल (रू0 99,32,252) बकाया था। कई बार नोटिस दिये जाने के बाद भी बकाया धनराशि जमा नहीं की जा रही थी। अतः आज दिनांक 09.04.2025 को मौके पर भवन को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया गया। उपरोक्त में मौके पर अपर सचिव, परमानन्द यादव, प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति आनन्द प्रकाश तिवारी आदि रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 10.04.2025

वीडीए अपर सचिव द्वारा की गई जोन-1 व जोन-2 की समीक्षा

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में 09.अप्रैल को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 06.04.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 4,70,500.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-12,24,78,676.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 06.04.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 12,04,710.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-8,31,87,603.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। विगत 05 वर्षो में जोन-1 (वार्ड-सिकरौल व शिवपुर) के अन्तर्गत सील भवनों के सापेक्ष जिन भवन स्वामियों द्वारा सील तोड़ लिये गये है, उनके विरूद्ध बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद जोनल अधिकारी द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न कराये जाने के कारण श्री शिवाजी मिश्रा, जोनल अधिकारी, श्री संजय कुमार तिवारी, अवर अभियन्ता व श्री रोहित कुमार अवर अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

न्यायाधीश –दि0 10.04.2025

सचिव वाविप्रा द्वारा विभिन्न जोनों के साप्ताहिक कार्यो की प्रगति समीक्षा की गई

वाराणसी । वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन.3 ;वाड दशाश्वमेध चेतगंज चौक व कोतवाली जोन.4 ;भेलूपुर व नगवां जोन.5 ;रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति ;1.04.2025 से 08.04.2025 तक. कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान अपर सचिव परमानन्द यादव जोन.3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति. अवर अभियन्ता राजू कुमार. जोन.4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं जोन.5 के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाशए अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र स्वीकृत शमन मानचित्र तावान शमन शुल्क की वसूली पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने हेतु निर्देशित कियेए अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल डीजल सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही तीनो जोन के जोनल अधिकारियों को निर्देशित किये की जितने भी पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण के लिये आदेशित किया गया विन्यास व भवन ;वार्ड के टॉप.10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन.3 द्वारा कुल. 1 जोन.4 द्वारा कुल.0 व जोन.5 द्वारा कुल.1 इस प्रकार कुल.2 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन.3 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु 87.59.989.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 10.04.2025

वीडीए अपर सचिव ने जोन 1 व जोन 2 की समीक्षा बैठक की

सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराकर पार्किंग की व्यवस्था कराए : गुडाकेश शर्मा

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में बुधवार को अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 01 अप्रैल से दिनांक 06 अप्रैल तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 4,70,500.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-12,24,78,676.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत 01 अप्रैल से दिनांक 06 अप्रैल तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 12,04,710.00 जमा कराया

गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-8,31,87,603.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।

सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। विगत 05 वर्षों में जोन-1 के अन्तर्गत सील भवनों के सापेक्ष जिन भवन स्वामियों द्वारा सील तोड़ लिये गये हैं, उनके विरूद्ध बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद जोनल अधिकारी द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न कराये जाने के कारण शिवाजी मिश्रा, जोनल अधिकारी, संजय कुमार तिवारी, अवर अभियन्ता व रोहित कुमार अवर अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।